न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 2, अलीगढ़।

जमानत आवेदन–पत्र संख्याः–6098/2022
सी.एन.आर.सं.–यू0पी0ए0एल010119872022
बाबूलाल बनाम उ0प्र0 राज्य
मुकदमा अपराध संख्या 354/19
धारा 21/22 एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना जवां, जिला अलीगढ़।

15.10.2022 :– **जमानत आवेदन–पत्र का निस्तारण**

प्रार्थी/अभियुक्त बाबूलाल की ओर से उपरोक्त मामले में यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी को अपने मुकदमे की तारीखों की जानकारी नही हो पाई थी, इस कारण वह अपनी तारीखों पर नही आ सका। जैसे ही प्रार्थी को उपरोक्त वाद की जानकारी हुई प्रार्थी ने श्रीमान जी के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया। प्रार्थी पर समन व वारण्ट की काई तामील नही है। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नही की है और ना ही भविष्य में कोई भी गलती करेगा तथा नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर अदालत आता रहेगा। अभियुक्त दिनांक 29.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः पुनः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत का विरोध किया है तथा कहा गया है अभियुक्त को एन0बी0डब्लू0 होने के आधार पर धारा–309 दं0प्र0सं0 का वारण्ट बनाकर जिला कारागार में निरूद्ध किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में दी गयी जमानत का दुर्पयोग किया गया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभय पक्ष को सुना तथा जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। उसे एन0 बी0 डब्लू0 के आधार पर धारा–309 दं0प्र0सं0 के वारण्ट पर दिनांक 29.09.2022 को जिला कारागार में निरूद्ध किया गया है। अभियुक्त दिनांक 29.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। पत्रावली में आरोप विरचित हो चुका है। मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरी राय में अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत मामले में उक्त प्रार्थी/अभियुक्त बाबूलाल का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा 1,00,000/–रूपए (एक लाख रुपये) के निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो नवीन प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जावे–

1– अभियुक्त बंधपत्र की शर्तों के अनुसार प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2– अभियुक्त प्रश्नगत मामले में आरोपित अपराध अथवा उससे मिलता–जुलता कोई भी अपराध जमानत की अवधि के दौरान कारित नहीं करेगा।

3– अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति/साक्षी को किसी भी प्रकार का लोभ, प्रलोभन या धमकी इस आशय का नहीं देगा कि वह व्यक्ति/साक्षी पुलिस/न्यायालय को सही तथ्यों से अवगत न कराये। अभियुक्त साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4– अभियुक्त बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायगा।

5– अभियुक्त के अपना तथा अपने जामिनदार का निवास स्थान बदलने पर इसकी सूचना न्यायालय को देनी होगी।

यदि अभियुक्त द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय अभियुक्त के

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR PANDEY
Date: 2022.10.15 17:22:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी। तदनुसार अभियुक्त बाबूलाल को जमानत पर रिहा किया जाए। दोनों जमानतियों में से एक जमानती परिवार का सदस्य रहेगा।

दिनांक :–15.10.2022

विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 2, अलीगढ़।